पत्र संख्या–20/जि0अ0गृ0–02–03/2010 सा0प्र0......................./

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अति महत्त्वपूर्ण

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक.......................2021

विषयः– **जिला अतिथि गृह के कमरों के किराया का पुनरीक्षण**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–2146 दिनांक–06.02.2013 द्वारा पटना के जिला अतिथि गृह एवं नालंदा जिलान्तर्गत जिला अतिथि गृह, बिहारशरीफ और राजगीर सहित राज्य के अन्य जिलों के अंतर्गत स्थित जिला अतिथि गृह के कमरो के किराया का पुनरीक्षण किया गया था तथा गया जिला के जिला अतिथि गृह के कमरों के किराया का पुनरीक्षण पत्रांक–17184 दिनांक–04.11.2013 द्वारा किया गया था। जिला अतिथि गृह के रख–रखाव के खर्च में वृद्धि के कारण इनके किराया का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में लागू दरों को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) **जिला अतिथि गृह पटना, गया तथा जिला अतिथि गृह बिहारशरीफ एवं राजगीर के कमरों का पुनरीक्षित किराया**

क्र0	कमरा आवंटन की प्रकृति	वातानुकूलित कमरा का किराया (रूपयों में)	गैर–वातानुकूलित कमरा का किराया (रूपयों में)
1.	सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	₹200/– (दो सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹150/– (एक सौ पचास रू0) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।
2.	गैर सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	₹ 400/– (चार सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹300/– (तीन सौ रूपये) प्रति कमरा, प्रतिदिन।
3.	गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए (कमरा उपलब्ध रहने की स्थिति में)	₹1000/– (एक हजार रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹600/– (छः सौ रूपये) प्रति –कमरा, प्रतिदिन।

(ii) **अन्य जिलों के जिला अतिथि गृहों के कमरों का पुनरीक्षित किराया**

क्र0	कमरा आवंटन की प्रकृति	वातानुकूलित कमरा का किराया (रू0 में)	गैर–वातानुकूलित कमरा का किराया (रू0 में)
1.	सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	₹150/– (एक सौ पचास रू0) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹100/– (एक सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।
2.	गैर सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	₹300/– (तीन सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹ 200/– (दो सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।
3.	गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए (कमरा उपलब्ध होने की स्थिति में)	₹800/– (आठ सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।	₹400/– (चार सौ रूपये) प्रति–कमरा, प्रतिदिन।

इसके साथ निम्न शर्त्तें भी लागू होंगी :–

(क) कमरों का आरक्षण ऑन–लाईन प्रणाली से भी हो सकेगा। इसके लिए प्रणाली का सृजन/विकास संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

(ख) किसी पदाधिकारी/व्यक्ति के नाम से एक पंचांग वर्ष में अधिकतम तीस दिनों तक का ही आरक्षण हो सकेगा, परन्तु एक बार में अधिकतम 07 (सात) दिनों तक का ही आरक्षण होगा एवं दो आरक्षण अवधि के बीच दो सप्ताह का अंतर (गैप) रहेगा।

(ग) जिला में पदस्थापित पदाधिकारी के निर्धारित उपर्युक्त अवधि से अधिक आवासित रहने की स्थिति में उक्त अतिरिक्त अवधि को गैर सरकारी कार्य हेतु आवासन माना जाएगा और तद्नुरूप, किराया लिया जाएगा।

(घ) आरक्षण अवधि की समाप्ति के बाद भी कमरा नहीं छोड़े जाने पर उपर्युक्त निर्धारित दर का तिगुना आरक्षण शुल्क देना होगा।

(ड़) अपवाद स्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निदेशित जिला में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु पदाधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि तक के लिए जिला पदाधिकारी कमरा आवंटित कर सकेंगे।

(च) राज्य मुख्यालय, पटना स्थित परिसदन/अतिथि गृह में राज्य के अन्य जिलों से अथवा अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर पटना आये पदाधिकारियों को दो माह अथवा भवन निर्माण विभाग के जो नियम प्रवृत्त हो या भवन निर्माण विभाग के निर्णय हो, तक के लिए कमरा आवंटित किया जा सकता है।

(छ) सरकारी कार्यो के लिए जिला अतिथि गृह में आवासित अवधि (वैध एवं अनुमान्य) के लिए व्यय किए गए किराये की राशि वित्त विभाग द्वारा निर्गत यात्रा–भत्ता नियम/प्रावधान के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य होगी।

(ज) कमरे में आवासित होने वाले सरकारी/गैर सरकारी व्यक्ति के लिए आधार पहचान–पत्र देना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–20/जि0अ0गृ0–02–03/2010 सा0प्र0 9722 पटना–15, दिनांक 31. 8. 2021

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31.8.2021
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।